भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

पंचायती राज

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण

अपनी भूमिकाएँ, अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य जानें

भाग - 1

पंचायतों की भूमिका, उत्तरदायित्व और शक्तियाँ एवं कर्तव्य

भारत सरकार ने 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संविधान का हिस्सा बनाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन में विभिन्न स्तरों की पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए उनके लिए शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। इस संशोधन में संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण का प्रावधान शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। प्रत्येक गाँव या गाँवों के समूह के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। पंचायती राज व्यवस्था का अगला स्तर ब्लॉक स्तर पर स्थापित मध्यवर्ती पंचायत है। जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष पर है।

इस जानकारीपूर्ण पुस्तिका में पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिकाओं, अधिकारों, उत्तरदायत्वों और कर्तव्यों तथा पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई पहलों को संकलित करने का प्रयास किया गया है।

1. ग्राम पंचायतों के कर्तव्य

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास सहित मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करेगी, और ऐसी शर्तों या निर्देशों के अधीन निर्धारित की जा सकती हैं जो राज्य सरकार द्वारा दिए जा सकते हैं।

राज्य विशिष्ट पंचायती राज अधिनियमों के अधीन, सरपंच/अध्यक्ष/चेयरपर्सन (पंचायत प्रमुख) के नेतृत्व में ग्राम पंचायतें 4 श्रेणियों के कर्तव्यों का पालन करती हैं, अनिवार्य, हस्तांतरित, विनियामक और पूरक।

1.1 ग्राम पंचायत के अनिवार्य कर्तव्य

1. योजनाएँ तैयार करना :

- पांच साल के कार्यकाल के लिए एक विकास योजना तैयार करना। इसे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आवश्यक होने पर संशोधित और अद्यतन करना।
- अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए एक विकास योजना तैयार करना।
- योजनाओं का कार्यान्वयन।

2. ग्राम पंचायत वार्षिक योजना के अनुसार या जैसी भी उसे सौंपा गया हो, या हस्तांतरित किया गया हो योजनाओं को क्रियान्वित कर सकती है :

- प्रोत्साहन और निवारक स्वास्थ्य देखभाल, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल, पोषण मानकों में सुधार, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं औषधालय के रखरखाव और उन्नयन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबंधन।
- स्कूलों में बच्चों के नामांकन सहित पूर्व विद्यायली शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, ड्रॉप-आउट की रोकथाम, साक्षरता अभियानों का प्रसार, वयस्कों और स्कूलों से बाहर रहने वालों के लिए सतत शिक्षा और इसी तरह की अन्य योजनाएं।
- महिलाओं और बच्चों का विकास, महिला सशक्तिकरण, स्व सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन एवं उन्हें सुविधा प्रदान करना, सूक्ष्म-वित्त के लिए योजनाएं और ऋण के प्रवाह के लिए अन्य गतिविधियां आय सृजन और अन्य विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू करना।
- पिछड़े वर्गों, कमजोर वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण।
- महामारी के खिलाफ पशुओं के टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित पशुधन का विकास।
- संचाई सुविधाओं सहित कृषि को बढ़ावा देना और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करना, बीज, जैव-उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, पौध संरक्षण उपकरण और अन्य कृषि उपकरणों के वितरण के लिए लाभार्थियों के चयन सहित नई फसलों की शुरूआत करना।
- मत्स्य पालन का विकास जिसमें टैंक में सुधार, कटाई, जाल लगाना, टैंकों की खुदाई, मिट्टी और पानी का परीक्षण, मिनी-किट की आपूर्ति और विभिन्न उन्नत प्रथाओं की शुरूआत शामिल है।
- लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और कारीगरों का कल्याण।

- राशन कार्ड वितरण के लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की निगरानी।
- ग्राम पंचायत को सौंपी गई नई परियोजनाओं के लिए उपयोगकर्ता समितियों के माध्यम से जल शुल्क का संग्रह, लघु सिंचाई योजनाओं का रखरखाव, सिंचाई टैंकों, फील्ड चैनलों का निर्माण।
- जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और वाटरशेड विकास।
- ट्यूबवेलों, कुओं, टैंकों का निर्माण एवं रखरखाव और जल के भंडारण और आपूर्ति के स्रोत को सफाई और कीटाणुरहित करना ।
- सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और उनकी सुरक्षा।
- वृक्षारोपण और पौधों का वितरण सहित सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी का विस्तार एवं पौधे लगाना और ईंधन तथा चारे की खेती को बढ़ावा देना।
- ठोस पदार्थों के संवर्धन और प्रबंधन सहित पर्यावरणीय स्वच्छता का रखरखाव तरल अपशिष्ट और सार्वजनिक अपदूषण की रोकथाम।

3. **कोई ग्राम पंचायत लाभार्थियों या योजनाओं या कार्यक्रमों की किसी भी सूची को प्राथमिकता देने से संबंधित ग्राम सभा की किसी भी सिफारिश पर कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी या इनकार नहीं करेगी, जब तक कि यह ग्राम सभा के क्षेत्र से संबंधित न हो, जब तक कि वह बैठक में निर्णय न ले ले। इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, कि ऐसी सिफारिशें अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत किसी नियम, आदेश या निर्देश के तहत स्वीकार्य या कार्यान्वयन योग्य नहीं हैं, बशर्ते कि यदि ग्राम पंचायत यह निर्णय लेती है कि कोई भी सिफारिशें अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत किसी नियम, आदेश या निर्देश के तहत स्वीकार्य या कार्यान्वयन योग्य नहीं हैं, तो उसके निर्णय को ग्राम सभा की अगली बैठक में रखने के लिए तुरंत सूचित किया जाएगा।**

1.2 ग्राम पंचायत के हस्तांतरित कर्तव्य

1. **एक ग्राम पंचायत :**
   - रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं सहित किसी भी योजना का कार्यान्वयन करना, राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार मंजूरी के साथ किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए या हस्तांतरित किए गए किसी कार्य का निष्पादन या संस्था या संगठन के कार्य का प्रबंधन।
   - सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी कार्य या प्रबंधन और नियंत्रण के लिए इसमें निहत किसी संस्था का प्रबंधन या रखरखाव करना।
   - ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य सरकार आदेश द्वारा उसे हस्तांतरित कर सकती है या उसे सौंप सकती है या समय-समय पर उसे सौंप सकती है।

2. **यदि राज्य सरकार की राय है कि किसी ग्राम पंचायत ने उसे सौंपे गए या हस्तांतरित किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन में लगातार चूक की है, तो राज्य सरकार, अपने कारण दर्ज करने के बाद, ऐसे कार्य को वापस ले सकती है, और पुनर्गठित ग्राम पंचायत के निर्वाचित होने और कार्य शुरू करने तक क्षेत्राधिकार वाली मध्यवर्ती पंचायत को ऐसा कार्य सौंप या हस्तांतरित कर सकती है।**

1.3 ग्राम पंचायत के विनियामक कर्तव्य

1. ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, एक ग्राम पंचायत, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर करेगी :

- अनियोजित विकास को रोकने और माहौल की रक्षा के लिए नई संरचना या नई इमारत के निर्माण या किसी संरचना या भवन में वृद्धि की अनुमति प्रदान करना।
- इस अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले करों, दरों या शुल्क का आकलन करना, अधिरोपण और संग्रह करना।
- चल रहे व्यापार का पंजीकरण करना जब तक कि ऐसा व्यापार या ऐसे व्यापार का पंजीकरण उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत निषिद्ध न हो।
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाले वाहन के अलावा अन्य वाहन का पंजीकरण करना।
- मोटर चालित पंप सेटों से सुसज्जित, सिंचाई के लिए स्थापित और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले उथले या गहरे ट्यूबवेलों का पंजीकरण करना।
- क्षेत्र में होने वाले जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना।
- इस अधिनियम के तहत स्थापित ग्राम पंचायत निधि का नियंत्रण, प्रबंधन और प्रशासन करना।
- ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
- संकटग्रस्त, निराश्रित और अशक्त लोगों की राहत के लिए उपाय अपनाना।
- जल जमाव की रोकथाम और वर्षा जल की निकासी के लिए प्रावधान करना।
- महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए निवारक उपाय करना।
- किसी भी इमारत या उसमें निहित अन्य संपत्ति की सुरक्षा और मरम्मत करना।
- नौका घाट स्थापित करना और नौकाओं का प्रबंधन और नियंत्रण करना।
- श्मशान और श्मशान भूमि की स्थापना और रखरखाव।
- खाने के स्थानों पर नियंत्रण रखना और स्वच्छता संबंधी प्रथाओं को लागू करना।
- स्ट्रीट लाइटिंग बनाए रखना।
- ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे हस्तांतरित या सौंपे जा सकें।

1.4 ग्राम पंचायत के पूरक कर्तव्य

ग्राम पंचायत के पास जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियां होंगी उपरोक्त प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, योजनाएं चलाएंगे और संबंधित उपाय अपनाएंगे :

- विकास योजना तैयार करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और विकास में उनकी भूमिका पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना।
- विकास कार्यों के कार्यान्वयन के सभी चरणों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- लोगों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना।
- सामूहिक गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित करना।
- शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन, दहेज, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और महिलाओं व बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाना।
- वंचित वर्गों के बीच कानूनी जागरूकता पैदा करना।
- सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव।
- नागरिक जिम्मेदारियों पर जागरूकता निर्माण।
- सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना और सहकारी संस्थाओं को समर्थन देना।
- खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम।
- बायो-गैस की खपत के लिए प्रोत्साहन।
- स्नान और कपड़े धोने के घाट उपलब्ध कराना।
- यात्रियों के लिए प्रतीक्षा शेड का निर्माण करना।

2. ग्राम पंचायत के सदस्य की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

ग्राम पंचायत के एक निर्वाचित सदस्य (अधिकांश राज्यों में वार्ड सदस्य के रूप में लोकप्रिय) को ग्राम पंचायत के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसलिए, उसे ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इस संबंध में एक विचार देने के प्रयास के रूप में, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का एक विवरण नीचे दिया गया है। इनके अलावा, कुछ अन्य कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं और समय-समय पर सूची में जोड़े जा सकते हैं।

- **ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में :**

  वार्ड/वार्ड सभा क्षेत्र के लोगों के एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, उसे क्षेत्र की समग्र स्थिति की पूरी जानकारी होना चाहिए और उसे सूचीबद्ध करना चाहिए। समस्याओं और शिकायतों को यथासंभव हल करने का प्रयास करना और निवारण के लिए मुद्दों को ग्राम पंचायत के समक्ष भी उठाना चाहिए। ग्राम पंचायत के निर्णयों पर लोगों से नियमित रूप से चर्चा की जानी चाहिए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि, वह उन व्यक्तियों का भी प्रतिनिधि है जो अभी तक मतदाता बनने के योग्य नहीं हुए हैं या जिन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया है।

- **स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य के रूप में :**

  अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत को स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित करना, ग्राम पंचायत की आम बैठक के विचार-विमर्श में भाग लेना, ग्रामीणों को वार्ड सभा की बैठक में भाग लेने के लए प्रोत्साहित करना, ग्राम पंचायत द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को वहन करना, लोगों को संसाधन जुटाने के लिए राजी करना आदि।

- **वार्ड सभा की बैठक के अध्यक्ष के रूप में :**

  ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता करना।

- **स्थायी समिति के सदस्य के रूप में :**

  स्थायी समिति की बैठकों में भाग लेना और विचार-विमर्श में सहभागिता करना, ग्राम पंचायत के संदर्भ में स्थायी समिति में ली गई योजनाओं के संबंध में अपने क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा करना, समस्याओं की पहचान और समाधान प्रदान करने तथा उपयुक्त योजनाओं के चयन में उचित भूमिका निभाना, और कार्यों/योजनाओं के क्रियान्वयन के समय आवश्यक सहायता प्रदान करना।

- **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए जीपी योजना सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) के सदस्य के रूप में :**

  वार्ड/वार्ड सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए उचित वातावरण बनाने में नेतृत्व प्रदान करना, पड़ोस की बैठकें आयोजित करना, भागीदारी प्रक्रिया में प्राथमिक डेटा के संग्रह और संकलन की व्यवस्था करना, स्थिति की समीक्षा के लिए विचार विमर्श में भाग लेना, पंचायत की कार्यशाला में समस्याओं और संभावनाओं का विश्लेषण करना और जीपीडीपी की तैयारी में आवश्यक सहयोग देना।

- **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के अध्यक्ष के रूप में :**

  सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसकी प्रगति की निगरानी के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

- **स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में :**

  स्कूल छोड़ने वालों को रोकना, अभिभावक-शिक्षक संघों को मजबूत करना, शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक पहल करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता की निगरानी करना और क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए पहल करना।

- **स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में :**

  आपदाओं से निपटने के लिए योजना तैयार करना, किसी भी आपदा की स्थिति में बचाव एवं पुनर्वास के लिए पहल करना, प्रभावित परिवारों के लिए राहत की व्यवस्था हेतु पहल करना, किसी भी आपदा की आशंका के मामले में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

- **आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में :**

  आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यों की नियमित निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी लाभार्थियों को मानदंडों के अनुसार सभी लाभ मिलें, आंगनवाड़ी केंद्र के बुनियादी ढांचे की निगरानी करना और किसी भी कमी के मामले में आवश्यक कार्रवाई करना।

- **ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के सदस्य के रूप में :**

  ग्राम पंचायत को सौंपी गई पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए पहल करना, पानी की बर्बादी रोकने के लिए पहल करना, पीने के पानी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उचित उपयोग करना, पेयजल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु पहल करना।

- **ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में :**

  वार्ड क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, बाल श्रम, बाल विवाह, शोषण आदि के खिलाफ पहल करना। उसे ग्राम पंचायत को बाल-मित्र बनाने के लिए भी पहल करनी चाहिए।

- **ग्राम शिक्षा समिति की प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में :**

  स्कूल ड्रॉपआउट को रोकना, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहल करना, मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता की निगरानी करना और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए पहल करना।

3. ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत निर्वाचित सदस्यों के अधिकार

निर्वाचित पंचायत सदस्यों के अधिकार इस प्रकार हैं।

- पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की मुख्य जिम्मेदारी घटकों का प्रतिनिधित्व करना है।
- उन्हें पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में शामिल होना और सक्रिय रूप से भाग लेना होगा।
- पंचायत के प्रत्येक सदस्य को पंचायत के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर ग्राम पंचायत और स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है।
- उचित सूचना देने के बाद उसे पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच होगी जिसमें वह सदस्य है।
- लोगों की जरूरतों के बारे में या काम से संबंधित किसी भी मुद्दे और समस्याओं के बारे में या सार्वजनिक महत्व के मामलों पर पंचायत का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार होगा।
- जब भी कहा जाए, संबंधित वार्ड की वार्ड सभा की अध्यक्षता करना।
- सदस्य पंचायत बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां पाने के अधिकारी हैं।
- सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं सहायता की भावना पैदा करें और अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कार्यों में सार्वजनिक योगदान या स्वैच्छिक श्रम जुटाएं।
- वे कार्यों के निष्पादन में किसी भी दोष और कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अधिकारी की ओर से किसी भी लापरवाही को पंचायत के ध्यान में ला सकते हैं।

4. ग्राम पंचायत के सरपंच/अध्यक्ष के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

ग्राम पंचायत सरपंच के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- राज्य पंचायत अधिनियमों और नियमों के तहत उसे प्रदान शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करना।
- ग्राम पंचायत की सभी कार्यकारी शक्तियाँ सरपंच में निहित हैं।
- ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना तथा उन बैठकों की अध्यक्षता करना।
- ग्राम पंचायत या उसकी किसी स्थायी समिति के संकल्पों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से पंचायत सचिव/कार्यकारी अधिकारी पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के काम पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना।
- यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि ग्राम पंचायत स्थानीय समुदाय को वित्तीय और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
- ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव सहित ग्राम पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारी वहन करना।
- रिक्त होने की तिथि से समय के भीतर उपसरपंच के चुनाव की व्यवस्था करना।
- ग्राम पंचायत के रिकार्ड तक पूरी पहुंच रखना।
- ग्राम पंचायत की ओर से, सरपंच अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित करता है।
- वह ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के प्रदर्शन को नियंत्रित और मॉनिटर करता/करती है।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष को ऐसे कर्तव्यों का पालन करना होता है।

5. ग्राम पंचायतों को सौंपी गई विशिष्ट भूमिकाएँ

ग्राम पंचायतों को बड़ी संख्या में प्रमुख कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में विशिष्ट भूमिकाएँ सौंपी गई हैं, जैसे (1) समग्र शिक्षा अभियान, (2) मध्याह्न भोजन, (3) पोषण अभियान/आईसीडीएस, (4) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ/राज्य विशिष्ट योजना, (5) जल जीवन मिशन, (6) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, (7) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), (8) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, (9) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, (10) अंत्योदय अन्न योजना, (11) प्रधानमंत्री आवास योजना, (12) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, (13) पशुधन योजना, (14) मत्स्य योजना, (15) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (16) जननी सुरक्षा योजना, (17) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, (18) आयुष्मान भारत/राज्य विशिष्ट योजना, (19) राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम, (20) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, (21) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं (22) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।

6. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष

स्थायी समितियों के सदस्यों में से, वित्त और योजना स्थायी समिति को छोड़कर, चार और स्थायी समितियाँ हैं जिनमें चार सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। स्थायी समितियों की नियमित अध्यक्षों को बैठकें बुलानी होंगी

क्षेत्रवार योजना और बजट तैयार करना होगा। इसके अलावा, उसे ग्राम पंचायत की आम बैठक के समक्ष स्थायी समिति की रिपोर्ट रखनी होगी।

7. ग्राम पंचायतों में विपक्ष के नेता

ग्राम पंचायत के विपक्षी सदस्यों में से एक, विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करेगा। वह वित्त एवं योजना स्थायी समिति की सदस्य भी होगा। विपक्ष के नेता की मुख्य जिम्मेदारी वित्त और योजना स्थायी समिति की बैठकों में भाग लेना और विचार-विमर्श में भाग लेना है। उसे योजनाओं को तत्परता, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के साथ क्रियान्वित करने में ग्राम पंचायत को आवश्यक सहयोग भी देना चाहिए। इस संबंध में यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि, विपक्ष के नेता के रूप में, उन्हें रचनात्मक आलोचना के माध्यम से ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन में समर्थन देना चाहिए।

8. मध्यवर्ती पंचायत (ब्लॉक पंचायत) की शक्तियां एवं कार्य

8.1 ब्लॉक पंचायत ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन का दूसरा या मध्यवर्ती स्तर है :

मध्यवर्ती पंचायतें जिले के ब्लॉकों के साथ सह-टर्मिनस हैं। इन मध्यवर्ती पंचायतों को ब्लॉक पंचायत, पंचायत समितियाँ और मंडल परिषद आदि भी कहा जाता है। आमतौर पर, एक ब्लॉक पंचायत में क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतें होती हैं। एक ब्लॉक पंचायत की औसत जनसंख्या 35,000 से 1,00,000 के बीच होती है। - प्रत्येक ब्लॉक पंचायत को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रें में विभाजित किया गया है। ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत सीधे ब्लॉक पंचायत के लिए एक सदस्य का चुनाव करती है। ग्राम पंचायत के सरपंच या प्रधान ब्लॉक पंचायतों के पदेन सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के निकाय को ब्लॉक पंचायत कहा जाता है।

8.2 ब्लॉक पंचायत के सामान्य कार्य :

ब्लॉक पंचायत का मुख्य कार्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न ग्राम पंचायतों की गतिविधियों का समन्वय करना है। इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों के बीच स्वयं सहायता और पहल की भावना पैदा करनी होगी और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करना होगा। ब्लॉक पंचायत ग्राम पंचायतों के काम की निगरानी भी करती है और इसके कामकाज में सुधार के लिए उपाय सुझाती है। यह विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करता है। ब्लॉक पंचायत के सामान्य कार्य इस प्रकार हैं।

- संबंधित अधिनियम के तहत या सरकार या जिला पंचायत द्वारा उसे सौंपी गई योजनाओं के संबंध में वार्षिक योजना तैयार करना और जिला योजना के साथ एकीकरण के लिए जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
- सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार एवं समेकन तथा समेकित योजना जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
- ब्लॉक पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना और उसे निर्धारित समय के भीतर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।
- ऐसे कार्य करना और ऐसे कार्यों को निष्पादित करना जो सरकार या जिला पंचायत द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

- प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत प्रदान करना।
- ब्लॉक स्तर पर सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तकनीकी विशेषज्ञता को एकत्रित करना और ग्राम पंचायतों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करना।
- राज्य और राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार उसे हस्तांतरित संस्थानों और योजनाओं का प्रशासन करना।

8.3 ब्लॉक पंचायत के क्षेत्रीय कार्य :

ब्लॉक पंचायत को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य आदि के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

8.4 ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- ब्लॉक पंचायत का कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष के पास निहित है।
- अध्यक्ष ब्लॉक पंचायत और स्थायी समितियों की सभी बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है, जिसका वह अध्यक्ष होता है।
- ब्लॉक पंचायत के संकल्पों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए खंड विकास अधिकारी पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- सभी कार्यालय अभिलेखों तक पूर्ण पहुंच रखना।
- आपातकाल की स्थिति में अध्यक्ष खंड विकास अधिकारी के परामर्श से किसी भी कार्य के निष्पादन का निर्देश दे सकते हैं, यदि यह आम जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। लेकिन उसे अगली बैठक में ब्लॉक पंचायत को की गई ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी।
- ब्लॉक पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण और जाँच अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

9. जिला पंचायत/जिला परिषद की शक्तियां एवं कार्य

9.1 जिला पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना की सर्वोच्च संस्था का गठन करती है। अधिकांश राज्यों में जिला स्तर पर पंचायत को जिला परिषद कहा जाता है। एक जिला पंचायत जिले के साथ सहटरमिनस होती है। प्रत्येक जिला पंचायत को कई क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रें में विभाजित किया गया है। जिला परिषदों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रें की संख्या जिले में ब्लॉकों की संख्या के बराबर है। सभी ब्लॉक पंचायतों के अध्यक्ष भी जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। कुछ राज्यों में विधान सभा सदस्य (एमएलए) और निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य (एमपी) भी पदेन सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के निकाय को जिला परिषद कहा जाता है

9.2 जिला परिषद के सामान्य कार्य :

यह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य पंचायतों की गतिविधियों का समन्वय करती है। कुछ राज्यों में जिला परिषद ब्लॉक पंचायतों के बजट को भी मंजूरी देती है। जिला पंचायत के सामान्य कार्य इस प्रकार हैं।

- ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों का समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय तथा जिला स्तर पर विकास योजनाओं का एकीकरण।

- ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों का समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय तथा जिला स्तर पर विकास योजनाओं का एकीकरण।
- मनरेगा और अन्य योजनाओं के संबंध में वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देना।
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के नियंत्रण प्राधिकारी का दायित्व। तत्कालीन सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संगठन द्वारा इसमें निहित या हस्तांतरित की गई सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव।
- सभी ब्लॉकों में विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त परिणामों की समीक्षा करना।
- योजनाओं, परियोजनाओं, योजनाओं या अन्य कार्यों के निष्पादन को सुरक्षित करना, जो कि या तो केवल व्यक्तिगत ब्लॉकों से संबंधित है या जिले में दो या दो से अधिक ब्लाकों के लिए समान है।
- किसी भी विकास कार्यक्रम से संबंधित ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करना जो सरकार की अधिसूचना द्वारा उसे प्रदत्त या सौंपी गई हो।
- जिले में विकासात्मक गतिविधियों और सेवाओं के रखरखाव से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना, चाहे वे पीआरआई या सरकार द्वारा किए गए हों।

9.3 जिला परिषद के क्षेत्रीय कार्य

जिला परिषद, अधिकांश भाग में, समन्वय और पर्यवेक्षी कार्य करती है। जिला परिषद विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को आवश्यक सलाह देती है।

9.4 जिला पंचायत अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व

अध्यक्ष जिला पंचायत के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत और स्थायी समितियों की सभी बैठकें बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है, जिसका वह अध्यक्ष होता है।
- उसकी जिला पंचायत के सभी अभिलेखों तक पहुंच होती है।
- जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य अधिकारियों से परीक्षण और अवलोकन के लिए कोई भी रिकॉर्ड, बयान, दस्तावेज मांग सकते हैं।
- जिला पंचायत या उसकी स्थायी समितियों के संकल्पों के कार्यान्वयन के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश जारी करता है।
- जिले से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सरकार के समक्ष उठा सकता है जहां सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।

भाग - 2

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सुधार/पहल

1. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सतत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण का प्रावधान

पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) पंचायती राज मंत्रालय के प्रमुख अधिदेशों में से एक है। इसलिए, मंत्रालय अपनी स्थापना के बाद से ही विभिन्न योजनाओं के तहत पर्याप्त सीबी एंड टी के माध्यम से पीआरआई को सक्षम और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। इस उद्देश्य से, मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।

आरजीएसए का कार्यान्वयन 2018-19 से चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अभिसरण पर मुख्य जोर के साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करना है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) को उनके चुनाव के छह महीने के भीतर आधार अभिविन्यास प्रशिक्षण और उनके चुनाव के 2 साल के भीतर पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। चूंकि शासन तंत्र बदल रहा है, मंत्रालय पीआरआई के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा, विभिन्न उभरते क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। व्यापक अन्य प्रशिक्षण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सहित पंचायत वित्त, स्वयं के राजस्व स्त्रोत (ओएसआर) का सृजन, ई-ग्रामस्वराज, ऑडिट ऑनलाइन, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एलएसडीजी), विशेष रूप से 9 विषय। पहचाने गए अंतरालों के आधार पर एवं एसडीजी की प्राप्ति हेतु महसूस की गई जरूरतों के आधार पर पंचायत के संबंधित स्तर पर अभिसरित पंचायत विकास योजनाएं तैयार करना है।

2. जन योजना अभियान (पीपीसी)

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी प्रक्रिया में सक्रिय लोगों की भागीदारी में तेजी लाने के लिए, 2018 से जन योजना अभियान (पीपीसी) शुरू किया गया है। पीपीसी समुदाय, निर्वाचित प्रतिनिधियों, संबंधित मंत्रलयों/विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सामुदायिक निर्माण संगठनों (सीबीओ) और अन्य संबंधित हितधारकों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ अभियान मोड में भागीदारीपूर्ण पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है।

3. पंचायत का डिजिटलीकरण-स्थानीय स्तर पर सुशासन की दिशा में एक पहल

- **स्थानीय स्तर पर भी "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।**
- **ई ग्रामस्वराज** कार्य आधारित लेखांकन सॉफ्टवेयर अप्रैल 2020 से लागू है।
- **ई ग्रामस्वराज** पंचायत के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे निगरानी, संपत्ति प्रबंधन रसीद और व्यय आदि सहित सभी योजना और लेखांकन आवश्यकताओं के लिए एक एकल मंच प्रदान कर रहा है।
- मंत्रालय ने विभिन्न केंद्र सरकार की मंजूरी के टोकन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान की है। छह केंद्रीय

मंत्रालयों/विभागों की 16 योजनायों के लाभार्थी विवरण ई-ग्रामस्वराज अनुप्रयोग के साथ एकिकृत हैं।

- **ई ग्रामस्वराज पीएफएमएस इंटरफेस (eGSPI)** को पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत किया गया व्यय करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। ईजीएसपीआई विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए जीपी के लिए अपनी तरह का एक इंटरफेस है।

- पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के धन के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग के लिए ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेषन का उपयोग किया जा रहा है।

- **स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी)** को अप्रैल 2018 में पेश किया गया था। यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सभी प्रशासनिक इकाइयों की एक मानक स्थान निर्देशिका है, जो अद्यतनीकरण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी प्रदान करती है। जब इकाइयों के निर्माण, परिसीमन या विलय के कारण प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में कोई परिवर्तन होता है। LGD का लक्ष्य स्थानीय सरकारों और राजस्व संस्थाओं की संरचना के बारे में सभी जानकारी ऑनलाइन रखना है।

- **पंचायतों द्वारा सेवा वितरण :** पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को आधुनिकता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीक में बदलने की दिशा में अपनी अनिवार्य जिम्मेदारी के तहत और पंचायत स्तर पर एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड कार्यक्रम के तहत सर्विसप्लस (http% //ServiceOnline-gov-in) तैयार किया गया है।

- **ई ग्राम स्वराज गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस (जेम) इंटरफेसः**
पंचायतों द्वारा की जाने वाली खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए, ई ग्रामस्वराज को गवर्मेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) के साथ एकीकृत किया गया है। अब तक, 12 राज्यों में पायलट सफलतापूर्वक संचालित किया जा चुका है और अन्य राज्य पायलट प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं।

- **ग्राम सभा निर्णय एप**

  "जीएस निर्णय" नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है, जो ग्रामीण भारत के लिए नैविगेट, इनोवेट और रिजॉल्व पंचायत निर्णयों के लिए राष्ट्रीय पहल है। ऐप का उद्देश्य ग्राम सभा के दौरान की गई चर्चा की महत्वपूर्ण जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करके, तथ्यों की पुष्टि करना और पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। उम्मीद है कि ऐप विकास के दौरान सरकारी कार्यों की पहुंच, दायरा और परिणाम को बढ़ाएगा और जमीनी स्तर पर 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. स्थानीय ग्रामीण निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग निधि का प्रवाह बढ़ा

- केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आवंटन 12वें वित्त आयोग में 54 रुपये से बढ़कर 15वें वित्त आयोग में 674 रुपये हो गया।
- वर्तमान 15वें वित्त आयोग अनुदान सभी राज्यों में पंचायतों के सभी तीन स्तरों और पारंपरिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किया जा रहा है, इस प्रकार 14वें वित्त आयोग अनुदान में सुधार किया गया है जो ग्राम
- पंचायत स्तर पर बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए प्रदान किया गया था।

  14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के अनुदान सीधे ग्रामीण स्थानीय निकायों के खातों में जारी किए गए, जबकि पहले सीएफसी अनुदान राज्य/जिला कोषागारों के माध्यम से भेजे जाते थे, जिससे अनुचित देरी होती थी।